

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 7
ANSWERED ON 03.02.2025**

HOUSES ALLOTTED TO MIGRANT WORKERS UNDER ARHC

***7. DR. ASHOK KUMAR MITTAL:**

Will the Minister of HOUSING AND URBAN AFFAIRS be pleased to state:

- (a) details pertaining to the number of houses allotted to migrant workers under the Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) Scheme as reports indicate that only 7 percent have been allotted;
- (b) the reasons for the significant delays in the allotment process, and the steps being taken to accelerate this process;
- (c) details of the houses allotted so far State-wise, and the initiatives being taken to ensure that the remaining vacant houses are made available to migrant workers in a time bound manner; and
- (d) the accountability mechanisms in place to monitor the implementation of the ARHC scheme and to prevent similar delays in future housing initiatives?

ANSWER

**THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
(SHRI MANOHAR LAL)**

- (a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 7 FOR 03.02.2025 REGARDING HOUSES ALLOTTED TO MIGRANT WORKERS UNDER ARHC.

(a) to (d): Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) launched Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs) as a sub-scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY-U) in July 2020 to provide dignified living to urban migrants/poor near their workplace. This scheme is implemented through two models:

- i. Model-1: Utilizing existing Government funded vacant houses constructed under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) and Rajiv Awas Yojana (RAY) to convert into ARHCs through Public Private Partnership (PPP) or by Public Agencies,
- ii. Model-2: Construction, Operation & Maintenance of ARHCs by Public/Private Entities on their own available vacant land.

Under Model-1, so far, 5,648 existing government funded vacant houses have been converted into ARHCs in different States/UTs. Under Model-2, MoHUA has approved proposals for 82,273 new ARHC units in 7 States, of which 35,425 have been completed and remaining are under different stages of initiation/construction. The Ministry conducts regular review with the States/UTs on progress of the scheme for ensuring completion and renting out the sanctioned ARHCs within the scheme period. The State/UT-wise number of ARHCs sanctioned and completed under both models are at **Annexure**.

Learning from the experiences of PMAY-U, MoHUA has launched PMAY-U 2.0 'Housing for All' Mission with effect from 01.09.2024 for implementation in urban areas across the country to construct, purchase and rent a house by eligible beneficiaries at affordable cost through four verticals i.e., Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) and Interest Subsidy Scheme (ISS). The scheme guidelines are available at <https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf>.

ARH vertical of PMAY-U 2.0 aims to promote creation of rental housing for Economically Weaker Section (EWS)/Lower Income Group (LIG) beneficiaries who do not want to own a house but require housing for short term basis. ARH is implemented through two models:

- i. Model-1: Converting existing Government funded vacant houses into ARH through PPP mode or by Public Agencies,
- ii. Model-2: Construct, Operate and Maintain rental housing by Private/Public Entities for urban poor, working women, employees of Industries, Industrial Estates, Institutions and other eligible EWS/LIG families.

A. State/UT-wise details of the existing Govt. funded vacant houses converted into ARHCs for the beneficiaries under Model-1 of the scheme:

S. No.	Name of State/UT	City	No. of vacant houses converted into ARHCs
1	Chandigarh	Chandigarh	2,195
2	Gujarat	Surat	393
3		Ahmedabad	1,376
4		Rajkot	698
5	Rajasthan	Chittorgarh	480
6	Jammu & Kashmir	Jammu	336
7	Uttarakhand	Lalkuan	100
8		Dehradun	70
Total			5,648

B. State/UT-wise details of ARHC units sanctioned and construction completed by Public/Private Entities under Model-2 of the scheme:

S. No.	Name of		Total Units	Construction completed
	State	City		
1	Tamil Nadu	Sriperumbudur	18,112	6,160
2		Sriperumbudur,	3,969	3,969
3		Hosur	13,500	6,576
4		Chennai	18,720	18,720
5		Chennai	1,040	-
6		Chennai	5,045	-
7	Chhattisgarh	Raipur	2,222	-
8	Assam	Kampur Town	2,222	-
9	Uttar Pradesh	Prayagraj	1,112	-
10	Gujarat	Surat	453	-
11	Telangana	Nizampet	14,490	-
12	Andhra Pradesh	Kakinada	736	-
13		Vizianagram	652	-
Total			82,273	35,425

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 7*
03 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एआरएचसी के तहत प्रवासी कामगारों को आवंटित आवास

*7 डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के अंतर्गत प्रवासी कामगारों को आवंटित आवासों की संख्या का ब्यौरा क्या है, क्योंकि प्रतिवेदनों के अनुसार केवल 7 प्रतिशत आवासों का ही आवंटन किया गया है;

(ख) आवंटन प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब होने के क्या कारण हैं और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) अब तक आवंटित आवासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की जा रही है कि प्रवासी कामगारों को शेष रिक्त आवास समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जा सकें; और

(घ) एआरएचसी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने और भविष्य की आवासीय पहलों में इस प्रकार के विलंब होने से रोकने के लिए मौजूद जवाबदेही तंत्र क्या हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

एआरएचसी के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों के संबंध में दिनांक 03.02.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 7* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) की शुरुआत की। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है:

- i. मॉडल-1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में परिवर्तित करके,
- ii. मॉडल-2: सार्वजनिक/निजी इकाइयों द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी को निर्माण, संचालन और रखरखाव द्वारा।

मॉडल -1 के तहत, अब तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5,648 मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित किया गया है। मॉडल-2 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 7 राज्यों में 82,273 नई एआरएचसी इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 35,425 पूरी की जा चुकी हैं और शेष शुरुआत/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। मंत्रालय योजना अवधि के भीतर स्वीकृत एआरएचसी को पूरा करने और किराए पर देने के लिए योजना की प्रगति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है। दोनों मॉडलों के तहत स्वीकृत और पूर्ण किए गए एआरएचसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में है।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से सभी के लिए आवास पीएमएवाई-यू 2.0 मिशन शुरू किया है, ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर घर बनाया, खरीदा और

किराए पर लिया जा सके। योजना के दिशानिर्देश <https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf> पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / निम्न आय समूह (एलआईजी) लाभार्थियों के लिए किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देना है जो घर का स्वामित्व नहीं चाहते हैं लेकिन अल्पावधि के लिए जिन्हें आवास की आवश्यकता होती है। एआरएच को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

- i. मॉडल-1: सरकार द्वारा वित्त पोषित मौजूदा खाली आवासों को पीपीपी मोड के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएच में परिवर्तित करना,
- ii. मॉडल-2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थाओं के कर्मचारियों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक इकाइयों द्वारा किराये के आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना।

दिनांक 03.02.2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 7* के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. योजना के मॉडल-1 के तहत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित किए गए सरकार द्वारा वित्त पोषित मौजूदा खाली आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर	एआरएचसी में परिवर्तित किए गए खाली आवासों की संख्या
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195
2.	गुजरात	सूरत	393
3.		अहमदाबाद	1,376
4.		राजकोट	698
5.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	480
6.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	336
7.	उत्तराखंड	लालकुआँ	100
8.		देहरादून	70
कुल			5,648

ख. योजना के मॉडल-2 के तहत स्वीकृत एआरएचसी इकाइयों और सार्वजनिक/निजी इकाइयों द्वारा पूर्ण आवास इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	नाम		कुल इकाइयाँ	पूर्ण निर्माण
	राज्य	शहर		
1.	तमिलनाडु	श्रीपेरंबुदुर	18,112	6,160
2.		श्रीपेरंबुदुर,	3,969	3,969
3.		होसुर	13,500	6,576
4.		चेन्नई	18,720	18,720
5.		चेन्नई	1,040	-
6.		चेन्नई	5,045	-
7.	छत्तीसगढ़	रायपुर	2,222	-
8.	असम	कामपुर टाउन	2,222	-
9.	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	1,112	-

10	गुजरात	सूरत	453	-
11	तेलंगाना	निजामपेट	14,490	-
12	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	736	-
13		विजयनगर	652	-
कुल			82,273	35,425

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Mr. Chairman, Sir, could the hon. Minister provide the latest data on the number of houses allotted to migrant workers under the Affordable Rental Housing Complexes Scheme across India and also in Andhra Pradesh? How does this figure differ compared to the Centre's and State's targets? And, what challenges have been encountered in meeting these targets?

श्री मनोहर लाल: महोदय, अभी तक माइग्रेन्ट वर्कर्स के लिए 83,534 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से इसके दो मॉडल बनाए गए हैं। पहले मॉडल में जिन स्थानों पर ये मकान पहले से बने हुए हैं, चाहे सरकारी संस्थाओं के पास हैं या प्राइवेट संस्थाओं के पास हैं, वे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी जो योजना है, उसके अंदर नए मकान बनाकर वे इस योजना में आ सकते हैं। जहां तक पहले मकानों की बात है, उसमें अभी बहुत कम संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि प्रदेशों को यह छूट दी गई है। यह योजना पीएमएवाई1 के बाद जुलाई, 2020 में प्रधान मंत्री जी ने कोविड के बाद शुरू की थी। क्योंकि कोविड के बाद यह ध्यान में आया कि बहुत से लोग, यदि अपना मकान नहीं खरीद पाते हैं, तो वे किराये के मकान में रह सकते हैं। उस योजना में अभी तक कुल 5 हजार, 648 खाली मकान 'Affordable Rental Housing Scheme' के अंतर्गत दिए जा चुके हैं।

MR. CHAIRMAN: Question No. 8.